राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3516/2025

नर सिंह देव यादव

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, डीडवाना–कुचामन।
4. प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, ठिकरिया खुर्द, नागौर।
5. अनिल कुमार नुवाल, अध्यापक ग्रेड–III लेवल–I, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जेतवाड़ा, सिरोही।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 08.08.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री गिरिराज राजोरिया, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री महिपाल खर्रा, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :–चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड–III लेवल–I के पद पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, ठिकरिया खुर्द, नागौर में कार्यरत है। आलौच्य आदेश दिनांक 30.06.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या–5 का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जेतवाड़ा, सिरोही से महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, ठिकरिया खुर्द, नागौर में किया गया है, जो रिक्त पद दर्शाते हुए किया गया है। जबकि अपीलार्थी उक्त पद पर पहले से कार्यरत है एवं अपीलार्थी का अन्यत्र स्थानान्तरण नहीं किया गया है। अपीलार्थी वर्तमान पदस्थापन स्थान पर लम्बे समय से कार्य कर रहा है। अपीलार्थी के खिलाफ कोई जांच लम्बित नहीं है। निजी प्रत्यर्थी को अनुचित लाभ देने के उद्देश्य से उसका स्थानान्तरण अपीलार्थी के स्थान पर किया गया है, जो अनुचित एवं अवैध है। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 10.07.2025 (अनुलग्नक–3) द्वारा बीएलओ का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। निजी प्रत्यर्थी का स्थानान्तरण रिक्त पद के

बिना ही कर दिया गया है। अपीलार्थी का मामला माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रकरण धर्मपाल बनाम राजस्थान राज्य से संबंधित है। इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने माना है कि बिना स्थानान्तरण आदेश के याची को कार्यमुक्त नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 10464/2022 जागेश कुमार जैन बनाम राजस्थान राज्य में स्थगन आदेश पारित कर याची को उसके वर्तमान पदस्थापन स्थान पर ही कार्य करने के आदेश दिये है। इस प्रकार आलौच्य आदेश दिनांक 30.06.2025 अनुचित एवं अवैध है।

3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य